

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

तहसीलदार मुकाम महवा

सरकार बनाम रामकिशोर शर्मा देवपाल मीना

LR ACT नं. 230/12 सन्

	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>पटवारी हल्का की रिपोर्ट दर्ज कर अतिक्रमी को राज. भू. राजस्व अधि. 1956 धारा 91 का नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 10/11/18 को पेश हो।</p> <p>तहसीलदार महवा, दौसा</p>	
10/18	<p>पत्रावली पेश हुई आवाज लगाई गई। अतिक्रमी उपस्थित आया है। अतिक्रमी का पत्रावली पेश करने हेतु समय चाहा गया है। न्यायदिवस में समय दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 16-01-18 को पेश हो।</p> <p>तहसीलदार महवा (दौसा)</p>	रामकिशोर
16-1-18	<p>पत्रावली पेश हुई, आवाज लगाई गई। अतिक्रमी उपस्थित आया है। अतिक्रमी का पत्रावली हेतु समय चाहा गया है। न्यायदिवस में समय दिया जाते पत्रावली दिनांक 18-1-18 को पेश हो।</p> <p>तहसीलदार महवा (दौसा)</p>	रामकिशोर
18/1/18	<p>पत्रावली पेश हुई आवाज लगाई गई अतिक्रमी अनुपस्थित रहें हैं आज श्रीमान पीठमैन अधिकारी राज्य कार्य से बाहर नौकर पर पधारें हुए हैं पत्रावली दिनांक 25/1/18 को पेश हो।</p>	

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

25/01/18

पत्रावली पेश हुई अवाज लगवाइ गई। अतिक्रम  
अनुपस्थित रहें। आज श्रीमान पी.एस.सी. अ  
अधिकारी राजप्र. न्याय को वाहर बंधु पर  
है। अक्रोहर में अतिक्रम को पुनः नाहित  
जारी कर पत्रावली दिनांक 01/2/2018 को  
पेश है। 9

01/2/18

पत्रावली पेश हुई। अवाज लगवाइ गई।  
अतिक्रम उपस्थित आया है। पत्रावली  
अक्रोहर न्यायाधी है। दिनांक 12/2/18 को  
पेश है। 4

तहसीलदार  
तहसील-महवा (दौसा)

रामकिशोर

13/3/18

पत्रावली पेश हुई। अवाज लगवाइ गई।  
अतिक्रम उपस्थित आया है। जैसे लोस  
अक्रोहर न्यायाधी पेश नहीं किया वरत  
निश्चय दिनांक पत्रावली 19/2/18 को पेश है।  
पटवारी के हल्ला के वधान लिखे गए  
तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमण को फट लेखवली  
पेश की गई एवं घटना यही अतिक्रमण  
को लेखवल करने की पेश की गई जो  
शामिल पत्रावली है। 5

तहसीलदार  
तहसील-महवा (दौसा)

रामकिशोर

19/2/18

पत्रावली पेश हुई अवाज लगवाइ गई  
अतिक्रम अनुपस्थित रहा पत्रावली दि  
26/2/18 को पेश है। 8

26/2/18

पत्रावली पेश हुई अतिक्रम उपस्थित आया है।  
अतिक्रम द्वारा अतिक्रमण किया गया अक्रोहर न्यायाधी है।  
अक्रोहर न्यायाधी को अतिक्रमण शक्ति अतिक्रमण

रामकिशोर

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दोसा (राज.)

मिसल नम्बर 230/17 तारीख रज 22/12/17 रिपोर्ट पटवारी हल्का 908 बनाम  
 श्री रामविशार पुत्र देवपाल जाति मीनर निवासी नयागांव तहसील  
 महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 26/2/18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री रामविशार ने ग्राम नयागांव को भूमि ख.न. 113 रकबा 0.10/ किस्म गेहूँ फसल रबि / खरीफ संवत 20 24 में गेहूँ कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जबाब में उसके द्वारा अपने बचाव में कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 113 रकबा 0.10/ किस्म गेहूँ के ग्राम नयागांव से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 0.10/ला 50 गुणा 22.22 शस्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खड़ी फसल गेहूँ को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खड़ी फसल को नष्ट / निलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। तहसीलदार  
 तहसील-महवा (दोसा)  
 तहसीलदार महवा

रजिस्टर्ड ग/स को पेश की 114 पर  
 वर्ष 2017-18  
 की राशि  
 की राशि  
 दिनांक 8/3/18  
 तहसील-महवा